FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**प्रतिवादी/अभियुक्त**
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही		योगेश देवासी पुत्र निम्बाराम देवासी जाति–देवासी, निवासी–पावर हाउस रोड, रामपुरा, तह. सिरोही, ज़िला– सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
	फर्म:	भवानी किराणा स्टोर, मेन बस स्टेण्ड, रामपुरा, तह. एवं जिला– सिरोही

किस्म मुकदमा - धारा 26(2)(ii) एवं 52

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 **प्रकरण संख्या: 21/2021**

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
03.3.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 52 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त योगेश देवासी के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में आज दिनांक 03.3.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी योगेश देवासी पुत्र निम्बाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी– पावर हाउस रोड, रामपुरा, तह. व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक, फर्म भवानी किराणा स्टोर, मेन बस स्टेण्ड, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित हुये। प्रतिवादी को नोटिस एवं आरोप पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी ने लिखत जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 10.9.2020 को जिस वैफर रोल (रिचरोल्स मिल्क) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है। वैफर रोल (रिचरोल्स मिल्क) मैनें पैकिंग अवस्था में बिक्री हेतु खरीदा था। जांच के लिये नमूना भी पैकिंग अवस्था में लिया गया था। उक्त खाद्य सामग्री का बिल मेरे पास नहीं है। यह मेरी प्रथम गलती है। मैं मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूं भविष्य में इस ....लगातार	योगेश देवासी 03/03/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:53 IST
Reason: SelfAttested

अ. जिला मजिस्ट्रेट

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.21/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार की गलती दुबारा नही करुंगा। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, मुश्किल से गुजारा करता हूँ, कृपया मुझे इस मुकदमें से मुक्त करावे। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ वेफर रोल (रिचरोल्स मिल्क ब्राण्ड) का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया। उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 10.9.2020 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म भवानी किराणा स्टोर, मेन बस स्टेण्ड, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी योगेश देवासी पुत्र निम्बाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी– पॉवर हाउस रोड, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ वेफर रोल (रिचरोल्स मिल्क ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ वेफर रोल (रिचरोल्स मिल्क ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद वेफर रोल (रिचरोल्स मिल्क ब्राण्ड) के 14 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 540 ग्राम) में से वेफर रोल (रिचरोल्स मिल्क ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 540 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ वेफर रोल (रिचरोल्स मिल्क ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1165 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया गया जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./414/[illegible]/414 दिनांक 24.9.2020 के अनुसार [illegible] पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फर्म भवानी किराणा स्टोर, मेन बस स्टेण्ड, रामपुरा, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही में प्रतिवादी योगेश देवासी ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ वेफर रोल (रिचरोल्स मिल्क ब्राण्ड)) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:53 IST
Reason: SelfAttested

मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.21/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी योगेश देवासी पुत्र निम्बाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी– पॉवर हाउस रोड, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भवानी किराणा स्टोर, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी योगेश देवासी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। माफिक निर्णय प्रतिवादी योगेश देवासी पुत्र निम्बाराम देवासी, जाति– देवासी, निवासी– पॉवर हाउस रोड, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म भवानी किराणा स्टोर, मेन बस स्टेण्ड, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही ने प्रतिवादी पर आरोपित जुर्माना राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का, भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिरोही द्वारा जारी डी.डी. नंबर 214931 दिनांक 03.3.2021 का इस न्यायालय में जमा करवाया।. अतः इस डी.डी. की राशि जरिये चालान राजकोष में संबंधित मद में जमा करवाई जाकर पत्रावली दाखिल दफतर हो। 3/3/2021 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya Date: 2021.06.09 17:07:53 IST Reason: SelfAttested	